



Reg.No.:756-13.02.1960

उद्यम प्रेरणा

(एमएसएमई की सशक्त आवाज)



Gold Category

पाक्षिक-वर्ष: 15

अंक: 16

भोपाल दि.-25.08.2018

(परिपत्र क्र.: 41-45)

परिपत्र क्रमांक : 41

Important Points of Meeting held with Secretary, MSME, Govt. of India Udyog Bhawan, New Delhi on Dated 14/08/2018



म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों द्वारा श्री अरुण कुमार पाण्डा, सचिव, भारत सरकार एमएसएमई के साथ चर्चा करते हुए.

The important points of meeting held at Delhi on 14th Aug. 2018 with Secretary MSME Shri Arun Panda, at Udyog Bhawan, New Delhi with agenda UNADDRESSED PROBLEMS IN GST & CREDIT FLOW TO MSME. This meeting was attended by about 40 industrial associations from all over India, our state represented by M.P. SMALL SCALE INDUSTRIES ORGANIZATION BHOPAL through Shri Arun jain Jabalpur, Shri Vipin Kumar jain Bhopal, Shri V.K.Porwal Ratlam, Shri Yogesh Goel Bhopal and Shri K.R. Asthana Gwalior.

Following Discussions and Submissions made-

● UNADDRESSED PROBLEMS IN GST:

- 1) All job work should be exempted from GST or reduced to 5% slab of GST.
- 2) Composition manufacturer should be allowed for Inter state Bussiness.

सम्पादन सहयोगी: **कैलाश अग्रवाल, अजय नाहर एवं सुनील गोठी**

M.P. Small Scale Industries Organization

E-2/30, Arera Colony, Bhopal - 462016 (MP)

- 3) **Blockage of ITC for 3 months:** When dealer with turnover less than Rs. 5 Crore (Say "A") will supply goods to dealer with turnover of more than Rs.5 Crore (Say "B"), then A has option to upload Invoice regularly or he may upload Invoice in quarterly return. Kindly note that B will get ITC only when A uploads Invoice. This may defer ITC for 3 months for dealer B. If A misses any Invoice, he may upload in next quarter. This would mean, B will be able to avail ITC after 6 month of supply. This is major hardship for RP like "B". It is suggested that rule may kindly be amended so that B may avail ITC in current month.
- 4) **Due date for submission of New Return Format :** We are moving toward more complex return format. Continuous upload / validation / checking / cross verification of data is important part of this format. We request council to keep deadlines as 20th of succeeding month for Invoice upload. Also final return deadline should be 30th of next month. (This is for RP having turnover more than Rs.5 crore + RP opting for monthly return). Government may keep deadline of 10th/20th of next month for RP having turnover more than Rs.100 crore, so that load on server gets staggered.
- 5) **Scalability of Server:** It is experienced that RPs face a lot of problem at time of due date. We understand that council has worked on this issue with the GSTN service provider, but still RPs face a lot of problem before or on due date. Council needs to design better system, which should be scalable at the time of due dates.
- 6) **HSN Code compulsion for RP less than Rs.5 Crore:** As per format, RP between Rs.20 lakhs to Rs.5 Crore (Sugam Return) need to mention HSN code of 4 digit. In present situation, they are either exempted from mentioning HSN code or need to mention only 2 digits. Please keep present format in future also.
- 7) **Proper Training on New format and preparation time of 3 months:** We are moving toward a better but more complex system. Looking at complex mix of RPs / Tax consultants in India, with different levels of understanding, we suggest proper training of RPs / Tax consultants should be done. Also 3 additional months should be given to RP to become familiar with new system.
- 8) **Penalty should be waived off for 9 months of operation:** There may be few teething problems / mistake from RP. To build a strong system and bring maximum RP under this system, council should waive off penalty for 9 months. This will bring confidence to RP and they will grow with system.
- 9) **Suvidha Providers:** It was propagated by the Council that a very large number of Suvidha providers will be operative with a density comparable to erstwhile STD booths. But these are nowhere to be seen. These should be provided on war footing to facilitate small volume RPs who cannot afford computers and their operators. It will simultaneously reduce load on tax consultants and they will have time for quality work.
- 10) Separate Portal of GST for MSME.
- 11) Clerical or small mistakes in e-way bill should not be penalized for MSME.
- 12) Recycled plastic product should be in 5% GST.
- 13) Composition scheme also be available for Small service sector.
- 14) GST payment be linked from Receivables not from issuing Date Proposed Solution to this the issue is as under: "Submitted that it should be deducted as TDS from the bill and be adjusted automatically in respective head as followed in Income Tax this will not only give support to MSMEs blocking of Working capital as well the tax deducted will come directly to specified Head of account."
- 15) Check on Audits not more than of 2years from the cut of date of the New Reform GST July 17. A suitable directive be given.
- 16) FMC be GST free and Dryfruit or its use in making eatable articles be charged on minimum Tax rate as 2% or 5%.

● **CREDIT FLOW TO MSME:**

- 1) For Credit Rating of MSME should be done by bank it self not by cibil or crisisl
- 2) There Should be Rehabilitation Scheme for micro and small business
- 3) Loan application tracking system for MSME
- 4) NPA should not be applicable for MSME
- 5) Mandatory/ Govt Payments liabilities should be paid through our bankers also why only from SBI only when we are doing E-banking the suitable Directives be given by RBI and we should be allowed to pay direct to respective account no need to open a separate Ebanking account in SB. I only for these payments. Which in present era is not required.
- 6) Banker charging for every bonafide requirement like copy of statement passbook entries issue of New cheque book etc they are enjoying on our daily credit amounts in account if they are charging on such facility which is necessary to provide free of charges than they should credit interest on balance of end of day i.e. per day on our respective account. The above are the facilities mandatory be given earlier it was why not the necessary directive be given by RBI.
- 7) The facilitation council must hv recovery power of collecting the degree amount If they want to court they must deposit or pay 75% of the digri amount withdraw-able/payable to MSME.

Ref.: MPSSIO/ 242 /2018-19/

परिपत्र क्रमांक : 42

एच.यू.एफ. के माध्यम से टैक्स प्लानिंग कैसे करें, अति आवश्यक कुछ प्रश्नों के उत्तर

1. आयकर के प्रयोजन हेतु एच.यू.एफ. की फाइल बनाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि एच.यू.एफ. में कम से कम दो पुरुष सदस्य हों ही, एक पुरुष सदस्य और मृतक अन्य किसी सदस्य की विधवा, या मृतक सदस्यों की विधवाएं जहाँ हैं वहाँ एसेसमेंट एच.यू.एफ. की हैसियत में होगा, यदि रिटर्न में हैसियत एच.यू.एफ. की क्लेम की है। जैसे मानलीजिए पिताजी की मृत्यु हो गई है, और एक बेटा बालिग अविवाहित रह गया है, तो माँ (यानि मृतक पिता की विधवा) व उसका पुत्र एच.यू.एफ. बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मानलीजिए दादी, पौता ही रह गये हैं, या देवर व विधवा भौजाई ही रह गई है तो भी एच.यू.एफ. बनेगी। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एच.यू.एफ. बनने के लिए कम से कम दो पुरुष सदस्य होने ही चाहिए। विधि के इस सिद्धान्त को सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीमकोर्ट) ने निम्न निर्णयों में प्रतिपादित किया है। अतः इस प्रश्न पर किसी प्रकार का विवाद कोई भी एसेसिंग ऑफिसर नहीं कर सकता है।

निर्णय:

(1) गोवली बुद्धाना बनाम आयुक्त (1966) 60 आइ.टी.आर.— 293 सुप्रीमकोर्ट

(2) सुरजीतलाल छाबड़ा बनाम आयकर आयुक्त (1975) 101 आइ.टी.आर.— 776 सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीमकोर्ट ने सुरजीतलाल छाबड़ा के केस में अपना निर्णय एसेसी के पक्ष में देते हुए कहा है कि

Absence of an antecedent history of jointness between a person and his ancestors is no impediment where a person, his wife and unmarried daughter constitute a H.U.F.

2. जहाँ तक आयकर के प्रयोजन का प्रश्न है यह भी जरूरी नहीं है कि परिवार में पुत्र हो ही, यानि किसी पिता के लिए उसके केस में एच.यू.एफ. का स्टेट्स क्लेम करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके एक बेटा हो ही सुप्रीमकोर्ट ने एन.वी. नेरन्द्रनाथ बनाम धनकर आयुक्त (1969) 74 आइ.टी.आर.—190 के केस में अपना निर्णय करदाता एसेसी के पक्ष में देते हुए कहा है एच.यू.एफ. बनने के लिए एक पुरुष सदस्य, उसकी पत्नी व अविवाहित पुत्री या पुत्रियों हो तो भी काफी है। यानि एक पुरुष व पत्नी व लड़कियाँ हो तो भी एच.यू.एफ. के किसी क्लेम को मात्र इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि पुरुष को एक पुत्र तो होना ही चाहिए या परिवार में दो पुरुष होने चाहिए। इस कथन को हम आयकर आयुक्त बनाम हर्षवर्धन मंगलदास (1992) 194 आइ.टी.आर.—136 के गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित कर सकते हैं।

3. लेकिन एच.यू.एफ. बनने के लिए दो लोगों का होना अनिवार्य है। (More than one person is required to constitute an H.U.F.) जहाँ किसी चल रही एच.यू.एफ. में अन्य सदस्यों के देहान्त के कारण केवल एक पुरुष सदस्य

रह जाता है, जो कि अविवाहित है या फिर एक पुरुष रह जाता है जिसकी पत्नी का देहान्त हो चुका है, तो फिर ऐसे केस में एच.यू.एफ. का स्टेट्स आयकर के प्रयोजन के लिए क्लेम नहीं किया जा सकता।

4. केवल दो जीवित महिलाओं से भी एच.यू.एफ. बन सकती है, यानि किसी पुरुष सदस्य का होना अनिवार्य नहीं है। आयकर आयुक्त बनाम वीरप्पा चेतियार (1970) 76 आइ.टी.आर.— 467 सुप्रीमकोर्ट के इस निर्णय द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के कुछ प्रावधानों के कारण मान्यता नहीं मिल रही है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार यदि सन्तानरहित हिन्दू का देहान्त हो जाता है तो धारा 14 के अन्तर्गत उस मृतक की पूरी संपत्ति की पूर्ण मालिक मृतक की विधवा हो जावेगी। अतः उसका एसेसमेंट इन्डिविजुवेल की हैसियत में होगा। ऐसी विधवा यदि बच्चा गोद ले, या उसके पूर्व पति से कोई सन्तान हो या विधवा पुनः विवाह करे और बच्चे का अधिकार महिला में मृतक पति की संपत्ति पर नहीं होगा। अतः महिला का आयकर के प्रयोजन हेतु एसेसमेंट इन्डिविजुवेल की हैसियत से ही होगा।

इस कथन को हमने ओड़िसा उच्च न्यायालय के रूकमणी बाई राठौड़ बनाम कमिश्नर ऑफ वैल्थ टैक्स (1964) 154 आइ.टी.आर.—430 के केस में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर आधारित किया है।

5. आयकर के प्रयोजन हेतु एच.यू.एफ. की फाइल गिफ्ट देकर उसकी एच.यू.एफ. की फाइल बना सकता है। पुष्पादेवी बनाम आयकर आयुक्त (1974) 97 आइ.टी.आर.—493 के केस में मैसूर उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है An H.U.F. can accept gift from a person who is not a coparcener, thus an H.U.F. can be created by a gift from a gift given by an outside.

लेकिन यह जरूरी है कि गिफ्ट प्राप्त करने से इस प्रकार बनाने वाली एच.यू.एफ. से कम से कम दो सदस्य तो गिफ्ट प्राप्त करने से पूर्व होने ही चाहिए। (सी. कृष्णाप्रसाद बनाम आयुक्त (1977) 109 आइ.टी.आर.— 493 मैसूर, सैथाम्मल बनाम आयुक्त (1981) 130 आइ.टी.आर.—597 मद्रास उच्च न्यायालय)

6. सुप्रीमकोर्ट द्वारा दिये गये पुष्पादेवी बनाम आयकर आयुक्त (1977) 109 आइ.टी.आर.—730 के केस में तथा मुर्गानाथा मुदिलियार ए.आइ.आर. 1953 सुप्रीमकोर्ट—495 के केस में दिये गये निर्णय से जिस विधि सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है उसके अनुसार यदि पिता अपने विवाहित पुत्रों के संदर्भ में नई एच.यू.एफ. की फाइल बनाना चाहता हो, और अपनी स्वयं द्वारा अर्जित पूंजी में से ऐसी एच.यू.एफ. को राशि गिफ्ट में देकर नई एच.यू.एफ. की पूंजी का निर्माण आयकर के प्रयोजन हेतु करना चाहता हो, तो उसके लिए यानि पिता के लिए यह अति आवश्यक है कि वो स्पष्ट शब्दों में यह गिफ्ट डीड या किसी शपथपत्र में यह उल्लेखित करे कि वो वर्तमान समय में मेरा पुत्र कर्त्ता व उसकी पत्नी मेम्बर हैं। इस डीड में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि गिफ्ट में यानि पिता अपने अमुक पुत्र को उसकी किसी हैसियत में (इन्डिविजुवेल केपेसिटी) में नहीं दे रहा हूँ बल्कि मैं इस गिफ्ट को अपनी एच.यू.एफ. के कर्त्ता की हैसियत से उसे दे रहा हूँ और अपने गिफ्ट को ऐसी हैसियत में ही स्वीकार किया है।

परिपत्र क्रमांक : 43

21 जुलाई को हुई 28वीं जीएसटी काउंसिल में लिए गये कई महत्वपूर्ण निर्णय

जीएसटी अधिनियमों में 17 प्रमुख संशोधन की सिफारिश की गई। प्रमुख सिफारिशों निम्न प्रकार हैं:-

1. कम्पोजिशन स्कीम को चुनने के लिए कारोबार की ऊपरी सीमा रु. 1 करोड़ से रु. 1.5 करोड़ की गई।
2. कम्पोजिशन डीलरों, (रेस्तरां सेवाओं के अलावा अन्य) सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए एक मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष में कारोबार का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं, या रुपये 5 लाख, जो भी अधिक हो तक स्वीकृति दी गई है।
3. जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर पंजीकृत व्यक्तियों के कुछ अधिसूचित वर्गों के मामले में केवल निर्दिष्ट सामानों पर लागू होने के लिए, अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति प्राप्त होने पर रिवर्स चार्ज तंत्र पर जीएसटी का लेवी लागू होगी।
4. असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड राज्यों में पंजीकरण के लिए दहलीज छूट सीमा रु. 20 लाख रुपये से 10 लाख।
5. करदाता एक ही राज्य/संघ शासित प्रदेश के भीतर स्थित व्यवसाय के कई स्थानों के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश के भीतर कई पंजीकरण का विकल्प चुन सकते हैं।
6. अनिवार्य पंजीकरण केवल उन ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए आवश्यक है जिन्हें स्रोत पर कर एकत्र करने की आवश्यकता होती है।
7. पंजीकरण रद्द करने के दौरान अस्थायी रूप से निलंबित रहने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में रिटर्न भरना आवश्यक नहीं है, ताकि करदाता को कानून के तहत निरंतर अनुपालन से मुक्त किया जा सकें।
8. अनुसूची III के तहत निम्नलिखित लेनदेन को कोई आपूर्ति (कोई कर देय नहीं) माना जाएगा:
 - अ. गैर-कर योग्य क्षेत्र में किसी स्थान से गैर-कर योग्य क्षेत्र में किसी अन्य स्थान पर माल की आपूर्ति भारत में प्रवेश करने वाले सामानों के बिना:
 - ब. घर की खपत के लिए मंजूरी से पहले किसी भी व्यक्ति को गोदामों की आपूर्ति तथा
 - स. उच्च समुद्र की बिक्री के मामले में माल की आपूर्ति।
9. इनपुट कर क्रेडिट का दायरा बढ़ाया जा रहा है, और अब इसे निम्नलिखित के संबंध में उपलब्ध कराया जाएगा:
 1. अनुसूची III में निर्दिष्ट अधिकांश गतिविधियों या लेनदेन:
 2. तेरह (झाड़वर सहित), बैठने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन
 3. बैंकिंग कम्पनी या वित्तीय संस्थान द्वारा या उसके लिए धन के परिवहन के लिए मोटर वाहन:
 4. मोटर वाहन, जहाजों और विमानों के संबंध में सामान्य बीमा, मरम्मत और रखरखाव की सेवाएं जिन पर क्रेडिट उपलब्ध है: तथा
 5. ऐसे सामान या सेवाएं जो नियोक्ता के लिए अनिवार्य हैं, अपने कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए अनिवार्य हैं।
10. यदि प्राप्तकर्ता चालान जारी करने की तारीख से 180 दिनों के भीतर आपूर्तिकर्ता को देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट उलट दिया जाएगा, लेकिन ब्याज का भुगतान करने की देयता समाप्त हो रही है।
11. पंजीकृत व्यक्ति वित्तीय वर्ष में जारी किए गए कई चालानों के संबंध में समेकित क्रेडिट/डेबिट जोट जारी कर सकते हैं।
12. अपीलीय प्राधिकारण और अपीलीय न्यायाधिकरण से पहले अपील दायर करने के लिए देय प्री-डिपॉजिट की राशि रु. 25 करोड़ और रु. 50 करोड़ क्रमशः।
13. कमिश्नर को क्रमशः एक वर्ष और दो साल की अवधि तक, जोबवर्क के काम पर भेजे गए इनपुट और पूंजी की वापसी के लिए सेवाओं की आपूर्ति, भले ही भारतीय रुपये में भुगतान प्राप्त किया जाए, जहां आरबीआई द्वारा अनुमति दी गई है।
14. निर्यात के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए सेवाओं की आपूर्ति, भले ही भारतीय रुपये में भुगतान प्राप्त किया जाए, जहां आरबीआई द्वारा अनुमति दी गई हो।
15. भारत में अस्थायी रूप से आयात किए गए सामानों पर किए गए किसी भी उपचार या प्रक्रिया के जाबवर्क के काम के मामले में आपूर्ति का स्थान और फिर भारत के बाहर होने के लिए उन्हें भारत में किसी भी अन्य उपयोग के बिना निर्यात किए बिना निर्यात किया जाता है।
16. अलग-अलग राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उपस्थित होने के बावजूद रिकवरी अलग-अलग व्यक्तियों से की जा सकती है।
17. इनपुट कर क्रेडिट के पार-उपयोग के आदेश को तर्कसंगत बनाया जा रहा है।
3. इन संशोधनों को अब संबंधित जीएसटी अधिनियमों में संशोधन करने के लिए संसद के साथ संसद और राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के विधायिका के समक्ष रखा जाएगा।

* * * * *

परिपत्र क्रमांक : 44

**उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
विन्ध्याचल भवन, भोपाल**

**मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा अधिसूचित
“मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017”**

सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के आर्थिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए, भारत सरकार, द्वारा पारित “सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006” अन्तर्गत “म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल” का गठन किया गया है एवं ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006’ की धारा 20 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद् के कार्यकरण को सुगम बनाने के लिए एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुरूप मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24.11.2017 अन्तर्गत “मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद् नियम 2017” बनाये गये हैं।

इस काउन्सिल के अध्यक्ष, उद्योग आयुक्त हैं तथा दो शासकीय सदस्य यथा प्रतिनिधि, निदेशक, सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास संस्थान, इन्दौर, तथा प्रतिनिधि लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल हैं एवं दो अशासकीय सदस्य रखे गये हैं।



काउन्सिल में मध्यप्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्यमी, द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय / प्रदायित सेवा के उपरांत, 45 दिवस की अवधि में, भुगतान प्राप्त न होने पर, क्रेता संस्थाओं / शासकीय कार्यालयों के विरुद्ध दावा आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किये जाते हैं।

काउन्सिल द्वारा दावा प्रकरणों में प्रथमतः उभयपक्षों के मध्य सुलह के प्रयास किये जाते हैं, एवं सुलह असफल होने पर, उभयपक्षों की सुनवाई कर, काउन्सिल द्वारा बकाया मूलधन राशि एवं इस पर ब्याज के भुगतान हेतु आदेश पारित किये जाते हैं।

सुविधा परिषद् द्वारा पारित अवार्ड राशि की अदायगी न होने की स्थिति में, जिला कलेक्टर को वसूली हेतु प्रकरण सन्दर्भित किये जाते हैं।

मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा अधिसूचित “मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद् नियम 2017” एवं निर्धारित आवेदन पत्र Website: www.mpsmsme.gov.in पर देखे एवं डाउन लोड किया जा सकते हैं।

परिपत्र क्रमांक : 45



मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 433]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 अगस्त 2018—श्रवण 10, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2018

क्रं. डी-15-11-2005-चौदह-3.— मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, पूर्व में जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-11-2005-चौदह-3, दिनांक 10 सितम्बर, 2013, जिसका कि प्रकाशन दिनांक 20 सितम्बर 2013 को "राजपत्र" में हुआ है, की शर्तों एवं निबंधनों के अधीन राज्य सरकार, एतद् द्वारा, अधिसूचित कृषि उपज उड़द/उरदा, मूंग, तुअर/अरहर, मसूर एवं मटर/बटरा/बटरी, जो कि विदेशों या राज्य के बाहर से किसी मंडी क्षेत्र में प्रसंस्करण के उपयोग के लिये मंडी क्षेत्र में स्थापित दाल मिलों के द्वारा लाई गई हो, पर उक्त अधिनियम के अधीन देय मंडी फीस के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है.

मंडी फीस के भुगतान से यह छूट इस अधिसूचना के "राजपत्र" में प्रकाशन की दिनांक से आगामी एक वर्ष के लिये प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उपेन्द्र नाथ शर्मा,

उपसिचव

महत्वपूर्ण सूचना**जी.एस.टी.एन. के निरस्तीकरण की विधि**

GSTN एप्लीकेशन में "कैंसलेशन के 30 दिन के पश्चात" Revocation का आप्लान प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें डीलर को अपने लॉग-इन पेज में "Services" पेज में "रजिस्ट्रेशन" सब-मेनू में जाकर "Application for Revocation of Cancellation" में जाकर अप्लाई करना होगा।

डीलर को एप्लीकेशन के साथ अपना "Appellate Order" संलग्न करना होगा। इसके पश्चात एप्लीकेशन के फाइल करने पर "Circle Incharge" के लॉग-इन उक्त "Revocation Request" दिखाई देगी जो ऑफिसर को प्रोसीजर के तहत "Approve" करना होगा।

Circle Incharge के द्वारा एप्लीकेशन को "Approve" करने पर डीलर का स्टेटस GSTN सिस्टम में "Cancelled" से "Active" हो जायेगा। इस तरह का प्रथम केस भोपाल सर्किल-1 में आज सफलता पूर्वक सम्पादित किया गया। ई-वे बिल में GSTN का एक्टिवेशन एक दिन पश्चात होगा जब सर्वर-2-सर्वर अपडेट होगा।

विनम्र निवेदन

मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन की वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रति वर्ष 1 अप्रैल से देय होती है। देय सदस्यता शुल्क की राशि का डिमाण्ड नोट सभी सदस्यों की ओर माह अप्रैल, 2018 में प्रेषित किया जा चुका है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि, कृपया निम्नलिखित के आधार पर वर्ष 2018-19 के लिए सदस्यता शुल्क की राशि भिजवाने का कष्ट करें।

वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित राशि का विवरण

1. औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों हेतु	--	रु. 1200/-
2. रु. 5 करोड़ तक का वार्षिक व्यवसाय करने वाले उद्यमों हेतु	--	रु. 1200/-
3. रु. 5 से 75 करोड़ तक का वार्षिक व्यवसाय करने वाले उद्यमों हेतु	--	रु. 1500/-
4. रु. 75 करोड़ से अधिक वार्षिक व्यवसाय करने वाले उद्यमों हेतु	--	रु. 2000/-

चेक "म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन" के नाम भोपाल में देय होगा। आर्गेनाइजेशन का बैंक विवरण निम्नानुसार है। आप बैंक खातों में भी राशि जमा कराकर तत्संबंधी सूचना हमें दे सकते हैं जिन सदस्यों ने सदस्यता शुल्क की राशि जमा करा दी है, कृपया इस निवेदन को नजरअंदाज करने की कृपा करें।

Our Bank Details:

- Name of A/c : MP Small Scale Industries Organization
- Bank Name: Union Bank of India, Arera Colony Branch, Bhopal.
- IFS Code: UBIN0545171
- A/c No. : 451702010003610

MPSSIO की ओर से **विपिन कुमार जैन** द्वारा **मोना इन्टरप्राइजेस, न्यू मार्केट, भोपाल** से मुद्रित, **विपिन कुमार जैन** द्वारा प्रकाशित तथा **ई-2/30, महावीर नगर, अरेरा कालोनी, भोपाल 462016** में प्रकाशित, संपादक **विपिन कुमार जैन** Ph.: 0755-2467714, 4296168 ema
Website: www.mplus.co.in